राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

वाद संख्या–09/2024

कंचन कुमारी बनाम् संगीता कुमारी।

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–20.05.2024, दिनांक–11.06.2024 तथा दिनांक–23.08.2024, को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मदनजीत कुमार उपस्थित। जिला प्रशासन की ओर से श्री हरेन्द्र राम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि सही सलाह के अभाव में उनके मुवक्किल द्वारा आयोग में, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक साथ वाद दायर कर दिया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–25(5) के तहत उनका Prayer विभाग के समक्ष दिनांक–16.06.2023 से लंबित है। अतः उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं आयोग से वाद वापस लेने का अनुरोध किया गया।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त बिन्दुवार प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, चूँकि मामला नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के समक्ष विचाराधीन है। अतः आयोग वाद के किसी गुणावगुण(Merit) पर विचार अथवा मंतव्य प्रकट नहीं कर रहा है, परन्तु **यह स्पष्ट किया जा रहा है कि आयोग में यह मामला केवल तकनीकी आधार पर निस्तारित किया जा रहा है, क्योंकि रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा Parallel Proceeding पर रोक लगायी गयी है।**

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)

03.10.2024

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)

03.10.2024

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–09/2024 3729

पटना, दिनांक– 3.10.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **वैशाली**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **वैशाली** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **वैशाली** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

03/x/24

विशेष कार्य पदाधिकारी